# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

**सरफेसी एक्ट वाद संख्या – 34/2018**

**इलाहाबाद बैंक बनाम् दीपक कुमार सिंह एवं चन्द्रवती देवी**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|
| 28-08-2019 | **– आदेश –**<br>अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत प्रदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, शाखा रामगढ़ कैन्ट द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् ऋणकर्ता दीपक कुमार सिंह एवं चन्द्रवती देवी निवास स्थान–VIII–रामगढ़, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गये सम्पति/भूमि मौजा–साण्डी, थाना नं0–143, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ अर्न्तगत खाता नं0–76, प्लौट नं0–1095, रकबा– 04 डिसमील भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए, अंचल अधिकारी, माण्डू से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।<br>ऋणकर्ता दीपक कुमार सिंह एवं चन्द्रवती देवी, अपनी सम्पति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना को गिरवी रखते हुए बैंक से ऋण लिया है, जिसे अबतक नही चुकाया गया है और अनियमितता बरती गई है। बैंक द्वारा ऋणकर्ता के खाते को एन.पी.ए. करते हुए, सरफेसी एक्ट–2002 की धारा 14 में निहित प्रावधान के तहत प्रश्नगत सम्पति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना पर दखल कब्जा दिलाने हेतु अनुरोध किया है।<br>अचंल अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत सम्पति/भूमि मौजा–साण्डी, थाना सं–143, खाता नं–76, प्लॉट नं–1095, रकवा–04 डिसमील भूमि गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है, राजस्व पंजी–II के पृ०सं०–133/II में चन्द्रवती देवी पति अशोक सिंह का नाम दर्ज है। पंजी–II के कैफियत कॉलम में दर्ज विवरणी अनुसार जमाबन्दी दाखिल खारिज वाद सं0–341/1987–88 के आधार पर दर्ज की गई है। अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि दीपक कुमार सिंह के नाम से जमाबन्दी दर्ज नहीं है। | |

बैंक द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणकर्त्ता के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई पहल नही किया गया है, जबकि बैंक द्वारा पूर्व में ही Recall Notice Under section 13(2) of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 के तहत् ऋणकर्त्ता को किया गया है। Bombay High Court Judgment in case of M/s Trade well & others V/s Indian Bank in Cr WP No.-2767 of 2006 clearly lays down as follows :- "In our opinion, at the time of passing order under section 14 of the NPA At, the CMM/DM will have to consider only two aspects, He must find out whether the secured asset falls within his territorial jurisdiction and whether notice under section 13(2) of NPA Act is given or not, No adjudication of any Kind is contemplated at that stage."

ऋणकर्त्ता द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरान्त ऋण की राशि चुकाने के संदर्भ में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। अतः सरफेसी एक्ट–2002 की धारा 14(1 एवं 2) में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, कृते इलाहाबाद बैंक, मुख्य प्रबंधक सरकुलर रोड, रांची के द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना (मौजा–साण्डी, थाना नं0–143, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ अर्न्तगत खाता नं0–76, प्लौट नं0–1095, रकबा– 04 डिसमील) को जब्त कर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित बैंक को अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त कार्रवाई के क्रम में विधि–व्यवस्था संधारन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

791/विधि
31/10/19

लेखापित एवं संशोधित

28/08/19

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

28/08/19

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।